कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, सरसों बीज, चना एवं उड़द इत्यादि के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के पूरक के रूप में निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:—

1. गेहूं आधारित फसली प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०—गेहूं)

2. चावल आधारित फसली प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०—चावल)

3. मोटे अनाज आधारित फसली प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०—मोटे अनाज)

4. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए०एम०डी०पी०)

5. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ०पी०पी०)

6. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन०पी०डी०पी०)

7. उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार सहित चावल, गेहूं, मोटे अनाज का बीज मिनिकिट कार्यक्रम।

वांछनीय विशेषताओं के साथ किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार इन फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) पंजाब सहित अन्य राज्यों मे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में किसानों को फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रशिक्षण, प्रदर्शन, संचार माध्यमों इत्यादि द्वारा दी जा रही है।

राज्यों में उर्वरकों का आवंटन

2111. **श्री अजीत जोगी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता थी और सरकार द्वारा वास्तव में इनकी कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(ख) चालू खरीफ और रबी मौसमों के दौरान कितने उर्वरकों का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान इन आवंटनों में वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार प्रतिवर्ष खेती की अवधि के दौरान "यूरिया" के होने वाले अभाव को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी उपाय करेगी?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए मध्य प्रदेश सहित यूरिया की और वर्ष 1993-94 तथा खरीफ 1994 के लिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, जो इस अवधि के दौरान सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन थे, की राज्य-वार आवश्यकता, आवंटन तथा खपत तथा खरीफ 1996 और रबी 1996-97 के दौरान यूरिया का राज्य-वार आवंटन प्रदर्शित करने वाला विवरण का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है **[देखिए परिशिष्ट 180 अनुपत्र सं० 47]**

(ग) तथा (घ) यदि आवंटन में कोई वृद्धि की जानी हो तो वह राज्य सरकारों के अनुरोध पर की जाती है और वर्तमान में किसी भी राज्य से यूरिया के आवंटन में वृद्धि के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) विभिन्न राज्यों को यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादन अधिप्राप्ति, संचलन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी संगठनों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जाता है। इसके अतिरिक्त बिक्री तथा उपलब्धता की समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें की जाती हैं ताकि सुधारक उपाय किए जा सकें।

Streamlining The Procedure for Registration of Imported Pesticides

2112. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that registration requirement for imported pesticides in Asia-Pacific region is lengthy and time consuming;

(b) whether Government have received any demand from the Pesticides Forumulators Association of India and if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to take steps to get the prodcedure streamlined and if so, the details thereof?